कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

मंगलवार, 06 फाल्गुन, शक संवत् 1946
(25 फरवरी, 2025 ई0)

खण्ड-528
अंक-06

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-05 के अनुपूरक पूछे जाने के दौरान शिक्षामित्रों की तुलना कतिपय जानवर से किये जाने पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री ने आपत्ति व्यक्त करते हुए सदन में क्षमा मांगने के लिए पीठ से व्यवस्था की मांग की। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि गलती से निकल गया होगा।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने अनुपूरक प्रश्न से सम्बन्धित नियमावली के नियम-42 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें अध्यक्ष की अनुज्ञा से मा0 सदस्य प्रशासकीय विषय से सम्बन्धित तथ्यों के अग्रेतर स्पष्टीकरण हेतु दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे। अध्यक्ष दो अतिरिक्त अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे। सभी सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने के लिए उनके द्वारा विषय की प्रस्तावना रखने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लिखा हुआ भाषण अनुपूरक प्रश्न में नहीं होता है। आज एक सदस्य द्वारा 20 अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। उन्होंने कहा कि उन्हें अधिक से अधिक प्रश्न लेने होते हैं, लेकिन आज 20 में से केवल 7 प्रश्न ही आ पाये।

तदुपरान्त श्री इकबाल महमूद ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जनपद के अधिकारियों से लोकहित में मिलने हेतु जाने पर उनके कार्यालय द्वारा प्रायः जनप्रतिनिधियों को यह बताकर वापस कर दिया जाता है कि सम्बन्धित अधिकारी मुख्य मंत्री अथवा अन्य उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हैं। उन्होंने जनपद के अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों के साथ भेंट के लिए समय निर्धारित करने हेतु पीठ से अनुरोध किया। नेता विरोधी दल ने इस पर बल दिया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 10 से 12 बजे तक अपने-अपने कार्यालयों में अधिकारियों को बैठने के निर्देश है। यह सही है कि वी0डी0ओ0 कॉन्फ्रेंसिंग से समय की बहुत बचत होती है। अभी हमारा जो प्रॉसीक्यूशन सिस्टम है, उसमें बड़े पैमाने पर बचत हुई है। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के चलते लोगों को गवाही देने के लिए, अब जाना नहीं पड़ता है, जिससे हमारा ट्रांजिट टाइम बचता है। महीने में एक बार जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए कानून व्यवस्था से सम्बन्धित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पूर्व से निर्देश है कि वह महीने में एक बार बैठकर के आप लोगों की बात करें। इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाएगा।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 66 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

क्र0-सं0	नाम	विषय
1	डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी	जनपद देवरिया सदर में पं0 दीन दयाल पाण्डेय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कला वर्ग की कक्षाएं संचालित कराए जाने के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती सलोना कुशवाहा	जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड निगोही में निर्माणाधीन होम्योपैथिक अस्पताल के गुणवत्ताहीन कार्य एवं वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में।
3	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	जनपद फतेहपुर के वि0स0क्षे0 जहानाबाद में मण्डी सचिव के द्वारा मण्डी की जमीन पर की जा रही अवैध रूप से फसल की बोआई के सम्बन्ध में।
4	श्री विनय प्रकाश गोंड	गोंड बिरादरी के लोगों का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने के सम्बन्ध में।
5	श्री मनीष कुमार उर्फ मंटू	जनपद कुशीनगर की नगर पालिका पडरौना में मुख्य मंत्री नगर सृजन योजना के शासनादेशों का उल्लंघन एवं जांच में दोषी पाए गए अधिशासी अधिकारी, अवर अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में।
6	श्री प्रदीप शुक्ला	जनपद गोरखपुर के सहजनवा में राष्ट्रीय राजमार्ग के जंक्शन कालेसर अथवा गीडा के पास ट्रामा सेन्टर स्थापित करने के सम्बन्ध में।
7	प्रो0 श्याम बिहारी लाल	जनपद बरेली के वि0स0क्षे0 फरीदपुर में आई0टी0आई0 का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक)	जनपद-कुशीनगर के कुबेरस्थान को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
9	श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया के वि0स0क्षे0 सिकन्दरपुर में खरीद-दरौली घाट पर पुल के निर्माण को पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री रविदास मेहरोत्रा	लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में खुले नालों को ढकवाये जाने के सम्बन्ध में।
11	ई0 सचिन यादव उर्फ जखई	जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में स्थायी रूप से गोताखोरों की व्यवस्था कराने विषयक।
12	श्रीमती मिथलेश पाल	जनपद मुजफ्फरनगर में विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम रहमतपुर में शहीद अमरेश पाल मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
13	श्री राजेन्द्र कुमार	जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	जनपद सिद्धार्थनगर के वि0स0क्षे0 इटवा में प्रधान द्वारा अवैध ढंग से पैसे निकाले जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री मुकेश चौधरी	जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्या महाविद्यालय बनाए जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री आलमबदी	जनपद आजमगढ़ के वि0स0क्षे0 निजामाबाद में ग्रामीण स्तर की सड़कों की जर्जर हालत से मुक्ति दिलाए जाने के सम्बन्ध में।
17	डा0 वीरेन्द्र यादव	जनपद गाजीपुर के वि0स0क्षे0 जंगीपुर में कतिपय फर्मों के कार्य की गुणवत्ता की जांच के सम्बन्ध में।
18	श्री प्रभात कुमार वर्मा	जनपद गोण्डा में गौरा चौकी को थाना बनाने के सम्बन्ध में।
19	श्री कमाल अख्तर	जनपद मुरादाबाद के वि0स0क्षे0 कांठ के ग्राम सिहाली खद्दर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाए जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
20	श्री अनिल प्रधान	जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर में विद्युत उपकेन्द्र रैपुरा फीडर से विद्युत सप्लाई चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री लक्ष्मी राज सिंह	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में धमेड़ा नारा सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
22	श्री रमेश जायसवाल	जनपद चन्दौली के विकास खण्ड सादर के ग्राम जसुरी में ग्राम जसुरी से चन्दौली बबुरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
23	श्री अरविन्द कुमार सिंह	राजकीय मेडिकल कालेज शाहजहांपुर में ओ0पी0डी0 व ट्रामा सेन्टर संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।
24	श्रीमती कृष्णा पासवान	जनपद फतेहपुर के वि0स0क्षे0 खागा में ग्राम चिल्लीमल के मध्य यमुना नदी पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत 02 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य हुईं।

विधान सभा के कार्यालय समेत प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में मा0 विधायकों के प्रतिनिधियों से सही व्यवहार न किये जाने के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा व अन्य की औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को इंगित करते हुए कहा कि मा0 सदस्य द्वारा दिये जा रहे पत्रों का कम से कम एकनॉलेजमेन्ट तो सुनिश्चित ही करा दीजिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सहमति व्यक्त की।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का तेरहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का चौदहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित पशुपालन विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का सोलहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित प्राविधिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित कृषि विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का उन्नीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित पशुपालन विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2015-2016) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 वित्तीय निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2010-2011) व (2017-2018) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो भारत

के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2009-2010), (2010-2011) व (2013-2014) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का नवम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2014-2015), (2018-2019) व (2019-2020) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का दशम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2012-2013) व (2016-2017) में उल्लिखित उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2024-25) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो राजस्व विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2024-25) का पंचम प्रतिवेदन जो कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि विपणन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2024-25) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, संसदीय अनुश्रवण समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की संसदीय अनुश्रवण समिति (2024-25) का प्रथम प्रतिवेदन जो संसदीय कार्य विभाग (प्रोटोकाल उल्लंघन) से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, संसदीय अनुश्रवण समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की संसदीय अनुश्रवण समिति (2024-25) का द्वितीय प्रतिवेदन जो संसदीय कार्य विभाग (प्रोटोकाल उल्लंघन) से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

तदुपरान्त श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या में होने वाले सभी मेलों के प्रान्तीयकरण की भाँति, महापर्व छठ मईया पूजन को भी प्रान्तीयकरण में शामिल

किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सभा मोहांव में पक्की सड़क से ग्राम सभा स्लामाबाद तक मार्ग पूर्ण रूप से जर्जर सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामज्ञान यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी, विकास खण्ड बक्सा के जौनपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राज्य मार्ग सक्सा से सुजियामऊ चौराहा होते हुए सड़ेरी घाट तक मार्ग का नवीनीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत जगम्मनपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप सिंह भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजा बाजार चौराहे से यहियागंज चौराहे की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुमतियाज व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद अन्तर्गत तहसील बिलारी-देवरी, ग्राम नरसरा से बिलारी-स्योंडारा सम्पर्क मार्ग तक लगभग 2 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डालचन्द पुत्र बुद्धि व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत सथरापुर में देवहा नदी से हो रहे कटान को रोके जाने हेतु पत्थर व ठोकरें बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर, विकास खण्ड रेवतीपुर, ग्राम सभा डारीडीह के अन्तर्गत दलित बस्ती से दयाशंकर के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हेसलाल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र-121, नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम इनायतपुर से होते हुए ग्राम भोलापुर लावाखेड़ा शाही स्टेशन मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री टंडन बाबू व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत वासदेवपुर की ठार पर दयाचरन की डेरी से महेशचन्द्र ठेकेदार के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्राम व पोस्ट-मडौली, जनपद कानपुर देहात में रेलवे क्रासिंग से रूरा जाने वाले पी0डब्लू0डी0 मार्ग से डा0 आर0 के सार्वजनिक विद्यालय मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भुवनेश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड तरबगंज के अन्तर्गत रानीपुर-करनीपुर मार्ग से लाला पुरवा, तिवारी पुरवा होते हुए कुर्मिन पुरवा तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महादेव पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र-226, ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर में वीर सावरकर चौक से मोहल्ला तालाबपुरा होते हुए वर्णी जैन इण्टर कालेज तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपू जैन व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ के दातागंज विधान सभा क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग की समरेर कमा शेरा विछलिया सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रप्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र के जाफरगंज मौहारी सम्पर्क मार्ग बालकेशन के ट्यूबवेल से ग्राम सभा मोहकमपुर तक कच्चे मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लखन सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

ईं0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम भूड गढ़ढा ग्राम पंचायत टाडा में श्री जोध सिंह जी के घर से

चन्दन सिंह जी के घर तक लम्बाई लगभग 300 मीटर मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशेष यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनिया, तहसील सकलडीहा के अन्तर्गत गंगा नदी में टाण्डा घाट पर नवीन पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सोनकर, निवासी जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हंसु राम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बलिया के बेल्थरा रोड पशुहारी मार्ग पर सिसयण्ड कला नहर से शमशुद्दीनपुर होते हुए गरगजपुर नहर तक ब्लाक सीयर में लगभग 04 किमी0 जर्जर रोड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लन पटेल व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका व्यपगत हुई।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लाक बलिया खेडी में ग्राम नल्हेडा गुर्जर में रेढ़ी राजबाहे की पटरी से गोगा म्हाडी तक के सड़क का काली सड़क/ सी0सी0 नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार, जयपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड लम्भुआ के अन्तर्गत ग्राम तिवारीपुर में राजकरन तिवारी के विद्यालय से तिवारीपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के ग्राम पंचायत गयाशपुर के रानीगंज शुकुलबाजार से चमरटोलिया होते हुए रामपाल के मन्दिर तक लगभग 01 मी0 सी0सी0 रोड का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चुन्नीलाल व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम हसनपुर लोहारी से माता स्थल से शिवालय मंदिर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मशकूर अहमद व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के ग्राम लोहा पानी में गाटा संख्या-446 जिसका क्षेत्रफल 1 एकड़ 10 डिसमिल है व गाटा संख्या-719 घ तालाब के रूप में सुरक्षित श्रेणी की जमीन है, जिसका क्षेत्रफल 4 एकड़

40 डिसमिल है, को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र पाल, निवासी जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम खेडा सण्डा में रोशनलाल वाल्मीकि के मकान से भरीं बसन्तपुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशांक व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में नहरों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के ग्राम इटौरा बुजुर्ग में श्री बैजनाथ मौर्य व प्रबन्धक सत्यभामा मौर्या पत्नी बैजनाथ मौर्य द्वारा भूमि खाता संख्या-331740 व अन्य भूमि खाता संख्याओं पर अवैध विद्यालय की बिल्डिंग निर्माण कराये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिलाख चन्द्र कौशल व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा बसेरवां में जंघई-जरौना मार्ग से मुशहर बस्ती होते हुए देवाराजी देवी सरस्वती स्कूल तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्हे यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड कदौरा में कुरहना मार्ग से मवई ब्राह्मण तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड मुरलीछपरा के अन्तर्गत सोनाबरसा दलन छपरा पिच मार्ग के भगवानपुर से रामनगर जाने वाले मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम बहलोलपुर नीबा में हीरालाल कुमार के घर से शाहपुर औरांव प्रधानमंत्री मार्ग तक का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निशान्त यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत ब्लाक ईसानगर में लोधपुरवा ईसानगर घाघरा नदी के नाले पर रपटा पुल बनाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर मुख्यालय पर सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जलीलपुर के ग्राम पिरथीपुर में ग्राम अकौंधा तक डामर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौ0 सतवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के विकास खण्ड दुबौलिया के, भकरही देशी शराब की दुकान से गजपुर राम जानकी मार्ग तक 0 से लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुर गौतम व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के ग्राम खड़बाडीह में पिच रोड से शिव मंदिर होते हुए सैयद बाबा के मजार तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विरेन्द्र प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजप्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर स्थित सेमरी बाजार को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के अयाहशाह विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम महमदपुर से सामियाना जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बद्री प्रसाद कुशवाहा निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 विमलेश पासवान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गगहा के हाटा बाजार में राकेश वर्मा के मकान से सर्विस लेन तक 300 मीटर नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र-44, सरधना के मण्डी परिषद के अन्तर्गत ग्राम सिंवाया से भराला मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मछलीशहर में ग्राम सभा बनगांव (गनपति का पुरा) में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में डॉ0 राम सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 में एडवांस लीवर और मधुमेह सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 इन्द्रनील बसु व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के पालीवाल पार्क सहित उद्यान विभाग के अनेक पार्कों में बिलायती बबूल के पेड़ों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र-337, देवरिया सदर के अन्तर्गत बैतालपुर को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश निषाद व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत हिलौली मवई अकोहरी से कन्जेश्वर मंदिर तक के मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर में तरंग क्रासिंग ओवर ब्रिज के नीचे प्राथमिक विद्यालय से सटे मदिरा विक्रय की दुकान हटाए जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र-209, बिल्हौर की ग्राम पंचायत दुर्गापुर में जखई बाबा से गंगा जी घाट तक 500 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिशान्त पाल व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विकास खण्ड साउघाट के अन्तर्गत ग्राम पटखौली में सोनहटी पटखौली मार्ग पर राम सबध के खेत से

डारीडिहा पुलिया तक जलभराव की समस्या से निजात दिलाये जाने के लिये ढक्कनदार नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवशंकर, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की इक्यावन शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ कड़ा धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये अतिथि गृह को सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में मनोज व अन्य की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड चण्डिका के अन्तर्गत बाबू का पुरवा गांव के बीच से कलेन्जर नाथ मन्दिर से होते हुए जलालपुर गांव तक सड़क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव विलाश उमरवैश्य व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज विधान सभा क्षेत्र-101, अमाँपुर के ग्राम लखीमपुर में रजवाह पुल से काली डावर तक मार्ग पर सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष बाबू व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका अनूपशहर में संचालित पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्वनी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव की तहसील सफीपुर का विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम खेलावन व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र-242, हुसैनगंज के अन्तर्गत हथगांव कडा मार्ग पर गौती पुल से टाण्डा भैराए तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश प्रताप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के ग्राम हरीपुर मिर्दहा में नसीम के दरवाजे से लेकर कल्लू कुरील के घर तक लगभग 300 मी0 नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री असलम, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के ब्लाक मदनपुर में नसीपुर पुन्छा मार्ग मदन के खेत से बलालपुर तक

मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री धर्मराज यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के जिला एवं महिला अस्पतालों में रेडियोलाजिस्ट के रिक्त पद पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम छीतरा में आई0टी0आई0 कालेज से राधा स्वामी सत्संग भवन तक आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज व हरदोई के मध्य मेहंदीघाट पुल पर एक नए पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-350, दीदारगंज के लल्लूगंज बाजार से मार्टिनगंज आरा मार्ग 1.5 किमी0 का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालचन्द राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री किरत सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के ग्राम बांसदेई में लखमीचन्द के मकान से कर्मवीर के मकान तक सड़क मार्ग व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत पीपली नायक से सरकथल तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहतास सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में गंगापट्टी से बजापट्टी होते हुए राजमला मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका व्यपगत हुई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के मोंठ कस्बे में स्थित के0सी0पी0 इण्टर कालेज की भूमि को कब्जा मुक्त करावाये जाने

के सम्बन्ध में श्री कपिल मुद्रिल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विकास खण्ड कांधला के गांव डाग रोड में रामकिशन पुत्र श्री बारू के मकान से जय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र के मकान तक के क्षतिग्रस्त मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिवियापुर के ग्राम झिगुरियापुर से बम्बा पटरी पर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन तक दूरी लगभग 02 किलोमीटर पक्का रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के फैजाबाद रोड से मटियारी पुल से भारत भवन होते हुये कंचनपुर मटियारी मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच में नगर क्षेत्र मोहल्ला नौवागडी, बक्शीपुर, हमजापुर में नाली व रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा साहनपुर में साहनपुर नानू संपर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेख अंजार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका व्यपगत हुई।

डा0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनियां के अन्तर्गत गजाधरपुर से गजाधरपुर-बालीपुर सम्पर्क मार्ग पर हरिजन बस्ती के पास नाली निर्माण व कतिपय सड़कों का इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के विकास खण्ड भितरगांव की ग्राम पंचायत रार में जयबाबा जी महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से होम टेक राशन टी0एच0आर0 प्लांट की स्थापना कराये जाने के

सम्बन्ध में श्री मनीष तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के ब्लाक व तहसील हसनगंज में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लॉक अछनेरा के ग्राम भिलावटी के दक्षिणी दिशा में शिव एवं राधाकृष्ण मन्दिर तक सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री थान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या के ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटवाने एवं पंचायती राज एक्ट (1) के अन्तर्गत कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम लाल व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर के ग्राम पारा रैपुरा के कड़ोडन नाला में लघु सेतु/रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिहारी प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत देवीनगला बम्बे की पटरी से दियौरउ तक लम्बाई लगभग 1 किमी0 सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राम मूर्ति वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के विकास खण्ड बतखारी में ग्राम फूलपुर अवसान का पुरा में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द वर्मा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम खुरहण्ड, महुआ, सौता स्योढ, छिबांव नदर व अन्य गांवों में सिंचाई हेतु नवीन राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगादीन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम पंचायत घीनपुर के अन्तर्गत मौजा महमतपुर तेली तालाब भट्ठे से मस्जिद होते हुए मानिक चंद्र जायसवाल के घर से दक्षिण नहर के पुल तक सम्पर्क मार्ग का

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निसार अली व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के कोढ़ा प्राथमिक विद्यालय से होते हुए काकोरातारा सरूआ मोड़ तक मार्ग का नव निर्माण/विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के वार्ड हरबंश मोहल्ला के मालवीय पार्क की डूडा बारातशाला के भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजत बाजपेयी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र-306, डुमरियागंज, बिथरिया घाट के जर्जर मार्ग के निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जमीरुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा पकड़ी कला में नहर पुलिया व कतिपय स्थानों पर हुए निर्माण कार्यों के फर्जी भुगतान की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन लाल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुधाकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र 345-घोसी के पकड़ी ताल में नौका विहार का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के अन्तर्गत ब्लाक सिरसिया के ग्राम रंजीतपुर में 500 मीटर आर0सी0सी0 निर्माण उच्चीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली में विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा सिकरी में चैम्पियन के मकान से भगवान दास के चक तक नाली व खड़न्जा का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के विकास खण्ड कसमण्डा की ग्राम पंचायत भण्डिया में अमृत सरोवर का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम स्वरूप रावत व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमाशंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पचोखरा में मिर्जापुर सोनभद्र मार्ग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से पचोखरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच की तहसील मिहीपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उर्रा में खेलो इण्डिया खेलो के अन्तर्गत स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज पोरवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद एटा के ब्लाक जैथरा व तहसील अलीगंज के मसूलिया से नगला ढाकन लाल पुरी पुल तक एप्रोच मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजकुमार सहयोगी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ के ब्लाक इगलास के ग्राम हरौथा से ग्राम नगला मल्लू तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मानिक चन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के ग्राम असदपुर धमरौली से नहर की पटरी को मडौरा की पुलिया तक 1.25 किमी0 पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र गुरूजी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम जखेड़ा रहमतपुर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र में इटावा शहर में स्वास्थ्य विभाग के खाली पड़े भवन में

50 बेड की क्षमता का मेडिकल केयर यूनिट का प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र जैन व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के ब्लाक बदलापुर के अन्तर्गत ग्राम कुहीकला में रामगंज राजवाहा व कतिपय ग्रामों में पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू'', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र-159, बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम मांझगांव में युवाओं के लिये स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिजुल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती नसीम सोलंकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र-213, सीसामऊ के अन्तर्गत जी0आई0सी0 ग्राउण्ड में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लियाकत अली व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के ग्राम पिलखनवाली सम्पर्क मार्ग से काली चरण प्रधान के मकान वाया बिलसूरी तक डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गुड़िया देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के अन्तर्गत नवीन सब्जी मण्डी औरैया के मुख्य द्वार के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर एलीवेटेड रोड (ओवर ब्रिज) निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी बाजपेई व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में खन्नौत नदी पर स्थित फगुनिहाई घाट पर स्थित सेतु की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड करनैलगंज के पसका में 33/11 के0वी0 पावर हाउस की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिंकू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगेसरी के ग्राम खरपड़ी एवं ग्राम भूबरा के मध्य मार्ग पर पूर्व से निर्मित रपटा पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार खड़गवंशी व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सहजनवा में एन0एच0-27 पर बोगटा से सहजनवां तक एलीवेटेड फ्लाई ओवर के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अभिषेक मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल के विकास खण्ड मसौधा अन्तर्गत सिंचाई विभाग की सरियावां माइनर की नहर पटरी पेंटिंग मार्ग के विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुई।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के नगर क्षेत्र में वार्ड नं0-4, रघुवंशपुरम पी0ए0सी0 रोड से राम कुमार के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कामता बजरंगी व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया के परसा तिवारी मण्डप सम्पर्क मार्ग से पिपरा बुजुर्ग-परसाउदकर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हनुमान वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत उरई चुर्खी चौराहे से चुर्खी तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र चौहान व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड के डिप्टी खेड़ा में नवदुर्गा ट्रेडर्स से लेकर हरिश्चन्द के मकान तक सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री निशा यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर के अन्तर्गत रसूला चौराहे से रम्पुरा प्रवीन मार्ग का चौड़ीकरण एवं

सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-162, बाँगरमऊ के अन्तर्गत बाँगरमऊ-बिल्हौर मार्ग से ग्राम पंचायत जगतनगर, खैरूद्दीनपुर, हरदासपुर, जाजमऊ होते हुए फतेहपुर-84 दबौली मार्ग तक डामर रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती मनीषा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर की तहसील राठ में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत ग्राम नगलिया जट से कोटा ग्राम तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चेतन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी विकास खण्ड अजमतगढ़ की ग्राम पंचायत सवरूप के झिंगारी नाला पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरिप्रकाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जलालाबाद में आधुनिक खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशोर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र-202, बिधूना के अन्तर्गत ग्राम कंसुआ बम्बा का पानी रामगंगा नहर में पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विकास खण्ड मुहम्मदाबाद गांहना के अन्तर्गत ग्राम बारा में अनुसूचित बस्ती नहर से तेनुआ पोखरा होते हुए शम्भू के ट्यूबवेल से आगे रविन्द्र के खेत तक लगभग 01 किमी0 सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के अंसल ए0पी0आई0 में विकसित हो रही टाउनशिप कंसोर्टियम की भूमि को भू-माफियाओं से अवमुक्त कराकर उपरोक्त आवासीय योजना में रह रहे आवंटियों के हितों की रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक), सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर ब्लाक हाटा अन्तर्गत पिपरी में कुशीनगर राजवाहा नहर पर राधेश्याम प्रसाद के घर से दीनदयाल आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय तक 1.9 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के ब्लाक हरख में ग्राम सहेलिया में सड़क का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सुमिरन व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद इटावा विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत निकटपुरा-गंसरा सम्पर्क मार्ग से भजोरपुरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री वीरेन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर-257, के अन्तर्गत ग्राम मोहिद्दीनपुर पक्की सड़क टावर से गुलाब कोटेदार के घर तक लम्बाई 500 मी0 सड़क का इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना भारती व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जिला अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत राजभर प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 08 सूचनाएँ प्राप्त हुई, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुई।

प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं के निदान विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए श्री पंकज कुमार मलिक ने कहा कि आज किसान बहुत दुखी और परेशान है, वह धरती चीरकर अन्न पैदा करता है। उसी के घर का बेटा सीमा पर देश की रक्षा करता है, पर वह खुद खून के आँसू रो रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा, पर बजाज मिलों का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने गन्ना मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे इस पर गम्भीरता से कदम उठाएं। थानाभवन मिल पर 144 करोड़ और ऊन पर 40 करोड़ बकाया है, हालत बहुत खराब है। शामली, नवाबगंज और मलकपुर में भी पिछले वर्ष का बकाया है। शामली में 103 करोड़ का बकाया है, किसान परेशान हैं, धरना दे रहे हैं, खाण्डसारी उद्योग में कोल्हू कम भाव पर गन्ना ले रहे हैं, किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान मंहगाई के कारण बच्चों की फीस नहीं भर पाता, खाद और बीज महंगे हैं, किसान बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा, बीमारों का इलाज नहीं हो पा रहा। शामली मिल और बजाज मिलों द्वारा गत माह नवम्बर से भुगतान नहीं किया गया है। किसान खून-पसीना बहाकर गन्ना उगाता है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने गलत बीज पर रोक लगाने एवं गन्ने का भाव बढ़ाये जाने के साथ विषय को अविलम्बनीय बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की माँग की।

श्री अतुल प्रधान व श्री नफीस अहमद ने भी इस पर बल दिया।

इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पीठासीन हुए।

इस पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण) ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि सठियाँव मिल ने 9.51 लाख पर्चियाँ जारी कीं, जिनकी वैधता 5 दिन तक कर दी गयी है। किसान के गन्ने की लागत 1 लाख/एकड़ आती है और किसान को 1.26 लाख मिलते हैं। अन्य राज्यों हरियाणा व उत्तराखण्ड से तुलना गलत है। यू0पी0 में कुल 981 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई की गई है। 0238 बीज के प्रयोग से रिकवरी बढ़ी है तथा उपज 600-700 कुन्तल/एकड़ बढ़ी है। सर्टिफाइड बीज पहुँचने में समय लगता है, अन्य राज्यों से बीज मँगवाए गए। इसी 11 फरवरी को 19231 और 17451 बीज जारी किए गए। यह व्यवस्था की गयी है कि मिल मालिक किसानों तक बीज पहुंचाएं। छोटे किसान दूर नहीं जा सकते, सरकार भाड़ा देने व बीज किसानों तक पहुँचाने पर विचार कर रही है। किसानों को

बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रयासरत् है। पिछले साल का 99.99 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। भुगतान सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से किया जा रहा है। बजाज का बीज आप लोगों द्वारा बोया गया है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पुरानी किस्म के बीज के कारण हो रही समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। मिलों को गन्ना पेराई सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई गन्ना किस्मों के विकास और वितरण पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। किसानों को गन्ने की खेती में आने वाली लागत को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। सरकार किसानों के साथ मिलकर गन्ना उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ चलाई जा रही हैं। किसानों को गन्ने की खेती से सम्बन्धित सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अतुल प्रधान एवं अन्य सपा सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 'जल शक्ति मिशन' द्वारा पानी की टंकी बनवाये जाने हेतु सड़कों की खुदाई कर पाइप डाले जाने के उपरान्त सड़कों का पुनर्निर्माण न किये जाने एवं पाइप लाइनों के टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 आर0 के0 वर्मा द्वारा अपनी कार्य-स्थगन की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जल शक्ति मिशन के अन्तर्गत प्रतापगढ़ में कई पाइप पेयजल परियोजनाएं अधूरी हैं, कुछ बनीं भी तो निष्क्रिय हैं या पाइप लाइन ही ध्वस्त है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण के घर को पानी देना था, पर आज तक परियोजना क्रियाशील नहीं हुई। इस परियोजना के अन्तर्गत निर्माण गुणवत्ता खराब है तथा इसकी तकनीकी जाँच नहीं की गयी है। बड़ी कम्पनियां छोटे ठेकेदारों से काम करा रही हैं। पाइप के मानक पूरे नहीं होने के कारण पाइप लाइन ध्वस्त होने का खतरा हमेशा रहता है।

नई योजनाओं के लिए सड़कों की खुदाई मानक के विरुद्ध की गई है। वर्ष 2019 से शुरू काम आज तक पूरे नहीं हुए हैं। सदर, मान्धाता, लक्ष्मणपुर विकास खण्डों में कई परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। कहीं बोरिंग, कहीं पाइप लाइन, कहीं ओवरहेड टैंक पर संचालन न होने की समस्या बनी हुई है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत खोदी गयीं सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण जलभराव एवं दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने सरकार से खोदी गयीं सड़कों के निर्माण, वित्तीय अनियमितता की जाँच एवं दोषी अधिकारी एवं ठेकेदारों पर कार्यवाही किये जाने के साथ विषय को अविलम्बनीय बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की माँग की।

श्री कमाल अख्तर व श्री रविदास मेहरोत्रा ने भी इस पर बल दिया।

जल शक्ति तथा बाढ़ नियन्त्रण मंत्री (श्री स्वतन्त्र देव सिंह) ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को पाइप पेयजल से शुद्ध पानी देने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन परियोजना आरम्भ की गयी। वर्ष 2024 तक उक्त परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य था, किन्तु कोरोना और भूमि विवादों से विलम्ब हुआ, अब 2028 तक इसे विस्तार दिया गया है। 2 करोड़ 34 लाख परिवार इस परियोजना से आच्छादित हैं।

विन्ध्य और बुन्देलखण्ड में लगभग काम पूरा हो गया है। 32 हजार गाँवों में शत-प्रतिशत नल संयोजन हो चुका है। 23 हजार प्रधानों ने गाँव में काम पूरा होने का प्रमाण-पत्र दिया है, सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है। बिना प्रधान, डीएम और एडीएम के एनओसी ठेकेदार को पेमेंट नहीं होगा। 4 लाख 80 हजार किमी0 जल वितरण प्रणाली अब तक बिछाई गयी है। 1.88 लाख किमी0 सड़कों की मरम्मत हुई है। 38,436 नलकूप एवं 37,561 ओवरहेड टैंक बन चुके हैं। 5,06,534 किमी0 जल वितरण प्रणाली का काम पूरा हो चुका है तथा 28,380 सोलर प्लान्ट लगाए गए हैं।

उन्होंने अवगत कराया कि काम के पूर्ण होने की जानकारी हेतु वे सीधा ग्राम प्रधान से सम्पर्क करते हैं। उसके पश्चात् ही ठेकेदारों का भुगतान किया जाता है। जल शक्ति मिशन योजना गरीबों, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से है।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा डॉ0 मंजू शिवाच के भाषण से आरम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री धीरेन्द्र सिंह,

श्री उमर अली खान,

डॉ0 सुरभी,

श्री तेजपाल सिंह नागर के भाषण के मध्य अपराह्न 02 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री अखिलेश,

श्री राकेश प्रताप सिंह,

श्री चेतराम,

श्री शाहिद मंजूर के भाषण के मध्य अपराह्न 02 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता श्री महबूब अली पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री प्रसन्न कुमार,

डा0 सोमेन्द्र सिंह तोमर,

श्रीमती पूजा,

श्रीमती सरोज कुरील,

श्री प्रभात कुमार वर्मा,

श्री ब्रजेश यादव,

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) के भाषण के मध्य 03 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय,

श्री अरमान खान,

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि दिनाँक 28-02-2025 को सायंकाल 07:30 बजे से सभी मा0 सदस्यगण के लिए मा0 राज्यपाल की ओर से राजभवन में भोज की व्यवस्था की गयी है। आमन्त्रण-पत्र पटल कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में प्रतिभाग किया:-

श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी के भाषण के मध्य सायं 04 बजकर 08 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुईं।

श्रीमती ओममणी वर्मा,

डॉ0 वीरेन्द्र यादव,

श्रीमती सलोना कुशवाहा,

श्री नाहिद हसन,

आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'),

श्रीमती मंजू त्यागी,

श्री बेदी,

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह,

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (श्री संजीव कुमार गोंड),

श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह,

श्री आशु मलिक,

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी,

नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री (श्री राकेश राठौर),

श्री सुरेन्द्र चौरसिया,

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी,

श्री आर0 के0 पटेल,

श्री बृजेश कुमार,

श्री अजय सिंह,

श्री संजीव अग्रवाल,

श्री वीरेन्द्र चौधरी,

श्री जगदीश नारायण,

श्रीमती मनीषा के भाषण के मध्य सायं 06 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए।

हाजी नासिर कुरैशी ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया। इनके भाषण के मध्य सायं 06 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यगण ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री कवीन्द्र चौधरी,

श्री अजीत पाल त्यागी।

तदुपरान्त चर्चा अगले दिन के लिए जारी हुई।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 89 सूचनाएँ प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद में कतिपय क्षेत्रों में नये बिजलीघर के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री अजय सिंह	जनपद लखनऊ के अंसल ए0पी0आई0 में विकसित हो रही टाउनशिप में कंसोर्टियम की भूमि को भू-माफियाओं से अवमुक्त कराकर उपरोक्त आवासीय योजना में रह रहे आवंटियों के हितों की रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री रमाशंकर सिंह	विधान सभा क्षेत्र मड़िहान जनपद मिर्जापुर के ग्राम तेन्दुआ ग्राम पंचायत धैरहा, विकास खण्ड राजगढ़ में 11 हजार की लाइन बाँस (लकड़ी) के पोल पर खींचकर सप्लाई कराने के सम्बन्ध में।
4	श्री कमाल अख्तर	जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र काँठ में चिरागीघाट अगवानपुर से ग्राम चटकली तक पैंटून पुल निर्माण के विषय में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट)	जनपद-फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत ग्राम पंचायत धरियाँव को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय कच्चे मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	डॉ0 आर0 के0 वर्मा	जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ के ग्राम पंचायत दहेरकला में वित्तीय वर्ष 2021 से 24 राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के मदों में व्यय की धनराशि के सापेक्ष भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
4	श्री गुरु प्रसाद मौर्य	जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड श्रृंगवेरपुर अन्तर्गत दहियाँवा से सकरदहा मार्ग, दहियाँवा से काशीपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री अभय सिंह	जनपद अयोध्या के थाना महराजगंज अन्तर्गत ग्राम जलालुद्दीन नगर में कूटरचित तरीके से अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर क्रय भूमि को निरस्त करते हुये राज्य सरकार के खाते में निहित करने की कार्यवाही के विषय में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री सुरेश पासी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर (अमेठी) के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा शासकीय पद पर रहते हुये कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध किये गये कार्यों की निष्पक्ष जाँच कराकर कार्यवाही के विषय में।
2	डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति	जनपद हमीरपुर में तैनात मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अपने पद के दुरुपयोग करने एवं अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में।
3	श्री नफीस अहमद	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महराजगंज और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परशुरामपुर में डॉक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में।
4	श्रीमती कृष्णा पासवान	जनपद फतेहपुर बहुआ हिनौता मार्ग से प्रसिद्धपुर होते मखौआ सम्पर्क मार्ग का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्रीमती ऊषा मौर्या	विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम पलवा मजरे सम्वत में प्राइमरी स्कूल की बाउण्ड्रीवाल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड संगीपुर के घुइसरनाथ धाम स्थित अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के ग्राम सभा मुस्तफाबाद, तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर में भूमि नक्शा न होने के प्रकरण की जाँच कराकर तत्काल ग्रामवासियों को नक्शा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज पटेल द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद बदायूँ के नगर पालिका परिषद् दातागंज में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम पंचायत ताजुद्दीनपुर में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर में कूड़ा प्रबन्धन के लिए सी0बी0जी0 प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

उ0प्र0 फार्मेसी काउंसिल की अध्यक्ष डॉ0 दीपा त्यागी को नियम विरुद्ध प्रक्रिया के तहत चयनित को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 फहीम इरफान द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा) का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत ग्राम उचहुवाँ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

भू-माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि, नाला, तालाब, बंजर भूमि, नवीन परती पर अतिक्रमण करके खरीद-फरोख्त करने तथा मेरी भूमि तथा अन्य की भूमि में अवैध नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बेदी द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि महामहिम राज्यपाल जी की तरफ से भोज से सम्बन्धित सभी मा0 सदस्यों के इंडिविजुअल निमन्त्रण-पत्र आ चुके हैं, जिन्हें पटल से सभी विधान मण्डल कार्यालयों में भिजवा दिया जाएगा। सभी लोग अपना निमन्त्रण-पत्र जरूर ले लें। उन्होंने शिवरात्रि की सभी मा0 सदस्यों को शुभकामनाएं दीं।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन सायं 07 बजकर 07 मिनट पर शुक्रवार, दिनाँक 28 फरवरी, 2025 के दिन के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

————————

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 291 विधान सभा (470)-03-03-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।